फर्द अहकाम

(नियम 26)

प्रज अदालत .... मुकाम .... अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

मोरपाल मीणा .... बनाम .... तहसीलदार दूनी

किस्म मुकदमा ...... प्रा० पत्र विविध ...... नं. 60 ...... सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/6/17	अभि. प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र अ० धारा 54 रा० लै० रे० एक्ट पेश किया। प्रा० पत्र की छाया प्रति तहसीलदार दूनी को प्रेषित करते हुए प्रा.पत्र पर बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई जाकर पत्रावली दिनांक 14/7/17 को पेश हो। ✓ अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	728 / 27/6/17
14.7.17	पत्रावली पेश हुई। प्रा.पत्र पर अभि. प्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय दि. 20/7/17 को पेश हो। ✓ अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	
20/7/17	अभिभावक प्रार्थी उपस्थित। अभि. प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना-पत्र राज० लैण्ड रे० एक्ट की धारा 54 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर चरागाह भूमि बाके ग्राम चारनेर पर अतिक्रमण किये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली में तहसीलदार देवली द्वारा कार्यवाही नही किये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त प्रार्थना पत्र रा० लै० रे० एक्ट 1956 की धारा 54 की परिधि में नहीं आने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यदि प्रार्थी पीठासीन अधिकारी के बदलने के अलावा अन्य कोई अनुतोष चाहते है तो सक्षम धारा में वाद न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रा० पत्र नंबर से कम हो। ✓ अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	

Scanned by CamScanner